दिनांक 27.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 37/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा महाकुम्भ, आपरेशन त्रिनेत्र आदि के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 27.12.2024 को समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0 के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाकुम्भ–2025, आपरेशन त्रिनेत्र आदि के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की गयी।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये :–

- महाकुम्भ मेला–2025 में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत श्रद्धालुओ के आवागमन, रेल, सड़क, जल तथा वायुमार्ग के प्रवास स्थालो तथा प्रदेश की सीमाओं पर प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। महाकुम्भ मेला के दौरान **अन्तर्राष्ट्रीय बार्डर** पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा एस0एस0बी0 के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाकर वैरियर लगाकर आने जाने वाले व्यक्तियों की 24 X7 सघन चेकिंग करायी जाये। जनपद प्रयागराज व सीमावर्ती जनपदो के सभी चेक पोस्टो पर मेला अवधि के दौरान बैरियर आदि लगाकर लगातार सघन चेकिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- प्रदेश के समस्त जोन/रेंज/जनपद/ ईकाई प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि महाकुम्भ मेला डियूटी में नामित किये गये जो अधिकारी/कर्मचारी अभी तक मेला डियूटी के लिए रवाना नही हुए है, इस पर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया कि नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को अतिशीघ्र मेला डियूटी हेतु रवाना कर दिया जाये।
- महाकुम्भ मेला का अवधि में प्रयागराज तथा सीमावर्ती जनपदो के होटल, ढाबा, सराय, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, तथा भीड़–भाड़ वाले स्थलों की निरन्तर स्निफर डॉग एवं बम डिस्पोजल स्कवाड द्वारा 24X7 सघन चेंकिग करायी जाये तथा प्रयागराज व उससे सटे जनपदो के वेंडरो का वेरिफिकेशन आवश्य कराया जाये।

- महाकुम्भ मेला के दृष्टिगत यातायात प्रबन्ध हेतु सम्बन्धित विभागो से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- महाकुम्भ के दृष्टिगत रेलवे ट्रैक की सुरक्षा हेतु समस्त कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाय तथा राजकीय रेलवे पुलिस एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा और अधिक समन्वय बनाये रखते हुये रेलवे ट्रैक की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- प्रदेश में पुलिस से सम्बन्धित जो भी निर्माण कार्य चल रहे है उनके निर्माण की गुणवत्ता चेक करते रहे तथा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कर लिये जाये। प्रवेक्षण का स्तर बढ़ाया जाये एवं गुणवत्ता में सुधार लाया जाये साथ ही समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किये जाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।
- आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अन्तर्गत सीसीटीवी कैमरो के अधिष्ठापन की कार्यवाही अपेक्षानुसार पूर्ण न किये जाने पर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्य चौराहो आदि पर शीघ्र अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरो के अधिष्ठापन हेतु निर्देश दिये गये।
- आपरेशन त्रिनेत्र के अभियान के अन्तर्गत अधिष्ठापित/व्यवस्थापित अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरों को कण्ट्रोल रूम से लिंक करवाये जाने की कार्यवाही की जाये तथा जनप्रतिनिधियों, सम्भ्रान्त व्यक्तियों एवं स्थानीय लोगो को सीसीटीवी कैमरे लगवाये जाने व उनके पुलिस कण्ट्रोल रूम से लिंक कराये जाने से होने वाले लाभ के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए उनका बहुमुल्य सहयोग प्राप्त किया जाये।
- अपराध नियन्त्रण एवं घटनाओं के अनावरण में सीसीटीवी कैमरो की उपयोगिता के दृष्टिगत स्थानीय संभ्रान्त एवं सक्षम व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारी वर्ग आदि से सम्पर्क कर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने से सम्बन्धित अभियान में उनकी सहभागिता हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाये।
- आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही हेतु सभी को भली–भाति ब्रीफ करते हुए सीसीटीवी कैमरों के व्यवस्थापन हेतु प्रत्येक बीट कान्सटेबिल का योगदान लिया जाये।
- गोवध/गो–तस्करी की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा उक्त घटना में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।

- गोवध/गो–तस्करी के प्रकरणो में मास्टर माइंड, अर्गानाइज्ड टीम के बारे में जानकारी प्राप्त कर मुख्य व्यक्तियों तक पहुँच कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।
- समस्त कमिश्नरेट/जनपद द्वारा फेक न्यूज के खण्डन, साइबर अपराध के प्रति जागरूकत्ता एवं पुलिस के सराहनीय कार्यो को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेट फार्मो पर व्यापक रूप से प्रसारित किये जाने हेतु युवा पीड़ी के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स एवं कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्रो को अधिक से अधिक डिजिटल वॉरियर बनाकर सम्बन्धित कॉलेजो/स्कूलों अथवा पुलिस लाइन्स में कार्यशालाएं आयोजित कर प्रशिक्षित कराया जाये।

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

दिनांक 27.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 38 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

इंस्टाग्राम पर आत्महत्या संबंधी वीडियो का संज्ञान लेकर तत्काल वीडियो अपलोड करने वाली युवती की जीवनरक्षा हेतु की गई काउंसलिंग

दिनांक 27.12.2024 को जनपद गोरखपुर के थाना कैम्पियरगंज क्षेत्र में रहने वाली एक 16 वर्षीय युवती द्वारा कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या करने संबंधी वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था। उक्त वीडियो के संबंध में दिनांक 27.12.2024 को दोपहर समय 12.35 बजे मेटा कंपनी के तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री प्रशान्त कुमार द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा तत्काल युवती की लोकेशन की जानकारी करके जनपद गोरखपुर को दोपहर 12.46 बजे सूचित किया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना कैम्पियरगंज के वरिष्ठ उ0नि0 द्वारा महिला आरक्षी के साथ मात्र 30 मिनट के अन्तराल में युवती के घर जाकर परिजनों की उपस्थिति में उसकी समस्या की जानकारी करते हुए काउंसलिंग की गई, जिस पर उक्त युवती द्वारा बताया गया कि उसने कीटनाशक दवा की खाली शीशी में पानी भरकर पीने की वीडियो केवल इंस्टाग्राम पर इसलिए अपलोड की थी, ताकि उसकी पोस्ट वायरल हो जाए। युवती ने कोई कीटनाशक दवा नहीं पी थी, साथ ही उसने यह भी बताया कि बाद में अपनी गलती का अहसास होने पर उक्त पोस्ट को थोड़ी ही देर बाद डिलीट कर दिया था। काउंसलिंग के उपरान्त युवती द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। युवती के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा पुलिसकर्मियों की इस तत्परता पूर्ण कार्यवाही की सराहना की गई है । उल्लेखनीय है कि मेटा के सहयोग से उ0प्र0 पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट का संज्ञान लेकर **01 जनवरी 2023 से 30 नवम्बर 2024 तक की अवधि में कुल 605 लोगों के प्राणों की रक्षा** की जा चुकी है।

जनपद जौनपुर/थाना मुगराबादशाहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 पिकअप वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 27.12.2024 को मुगराबादशाहपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुजानगंज रोड पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–रवीन्द्र घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–प्रेमचन्द्र सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 पिकअप वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रवीन्द्र थाना मुगराबादशाहपुर से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त रवीन्द्र के विरूद्ध जनपद जौनपुर, अम्बेडकरनगर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 56 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मुगराबादशाहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रवीन्द्र निवासी मकदूमपुर थाना खुटहन जनपद जौनपुर।

2–प्रेमचन्द्र निवासी बरामदपुर जरियारी थाना महरूआ, अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1–01 पिकअप वाहन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद सोनभद्र/थाना मांची

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 27.12.2024 को थाना मांची पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त जगप्रसाद उर्फ मुलायम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद सोनभद्र से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मांची पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जगप्रसाद उर्फ मुलायम निवासी ग्राम करौदिया थाना रामपुर बरकोनिया जनपद सोनभद्र।

जनपद मेरठ/थाना खरखौदा

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 27.12.2024 को थाना खरखौदा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान खन्द्रावली से परतापुर जाने वाले रास्ते पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त चॉद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खरखौदा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, जनपद मेरठ के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खरखौदा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–चॉद निवासी न्यू लिसाडी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लालपुर पाण्डेयपुर</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **लगभग 12 लाख रूपये (कीमत) के चोरी के सोने–चॉदी के आभूशण**
- **04 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 27.12.2024 को थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोईठहॉ रिंग रोड के पास से 03 अभियुक्तों 1–जैकी 2–कालू सिंह 3–कालू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख रूपये (कीमत) के चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, 04 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना लालपुर पाण्डेयपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जैकी निवासी गुलखेड़ी थाना बोड़ा जनपद राजगढ़, मध्य प्रदेश।

2—कालू सिंह पुत्र भगत सिंह निवासी कड़िया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़, मध्य प्रदेश।

3—कालू निवासी गुलखेड़ी थाना बोड़ा जनपद राजगढ़, मध्य प्रदेश।

बरामदगी

1—लगभग 12 लाख रूपये (कीमत)के चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण

2—04 मोबाइल फोन।

जनपद महोबा/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 13 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 27.12.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करिया पठवा के पास बिलवई पुलिया के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राजू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 13 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद महोबा के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– राजू निवासी फतेहपुर बजरिया थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

बरामदगी

1–चोरी के 13 हजार रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हापुड़/थाना हापुड़ नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **छीनी गयी सोने के चैन**
- **छीनी गयी सोने के चैन ब्रिकी से प्राप्त धन 13 हजार 60 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 27.12.2024 को थाना हापुड़ नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ठण्डी सड़क रेलवे स्टेशन के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त मो0 आमिर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से छीनी गयी सोने के चैन, छीनी गयी सोने के चैन ब्रिकी से प्राप्त धन 13 हजार 60 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, जनपद हापुड़ के विभिन्न थानों पर लूट, छिनैती, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0 आमिर निवासी नई बस्ती जमालपुरा थाना लोनी, गाजियाबाद हापपता–मोहल्ला चैनापुरी थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–छीनी गयी सोने के चैन।

2–छीनी गयी सोने के चैन ब्रिकी से प्राप्त धन 13 हजार 60 रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन।

4–01 दो पहिया वाहन।

5–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना लंका

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल**
- **05 मास्टर चाभियॉ बरामद**

दिनॉकः 27.12.2024 को थाना लंका पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मारूति नगर मार्ग बबुराही से अभियुक्त विवेक कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 05 मास्टर चाभियॉ बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विवेक कुमार निवासी ग्राम कर्महरी थाना मोहनिया जनपद भभुआ, बिहार हालपता–सुसुवाही थाना चितईपुर, वाराणसी।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2–05 मास्टर चाभियॉ।

जनपद कानपुर देहात/थाना रसूलाबाद

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के चॉदी के आभूशण**
- **चोरी की 4120/–रूपये नगद**
- **01 एटीएम कार्ड बरामद**

दिनॉकः 27.12.2024 को थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विषधन रोड पर ग्राम चित्ता निवादा मोड़ पुलिया से अभियुक्त नीरज कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के चॉदी के आभूषण, चोरी की 4120/–रूपये नगद, 01 एटीएम कार्ड बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना रसूलाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रसूलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नीरज कुमार निवासी कंजड़डेरा मंगलपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1–चोरी के चॉदी के आभूषण।

2–चोरी की 4120/–रूपये नगद।

3–01 एटीएम कार्ड।

एस0टी0एफ0–सीबीआई/नारकोटिक्स/क्राईम ब्रांच के अधिकारी बनकर Digital Arrest कर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार।

दिनांकः 26–12–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को सीबीआई/नारकोटिक्स/क्राईमब्रांच के अधिकारी बनकर Digital Arrest कर ठगी करने वाले संगठित गिरोह के एक सदस्य को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– कृष्ण कुमार उर्फ सुनील पुत्र भरत सिंह निवासी म0न0 576 ग्राम जलालाबाद पोस्ट जलालाबाद थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद, उम्र 27 वर्ष, षिक्षा–बीएससी (बीटेक ड्रापआउट)।

बरामदगी–

1– 01 अदद मोबाइल फोन।

2– 06 अदद डेबिट कार्ड।

3– 03 अदद चेकबुक।

4– 02 अदद एटीएम किट।

5– 01 अदद बैंक एकाउंट किट।

6– 01 अदद हस्ताक्षरित चेक।

7– 01 अदद इंटरनेट बैंकिग सिक्योरिटी कोड डिवाइस।

8– 02 अदद सिम कार्ड विभिन्न कर्पोरेट बैक खातों से लिंक।

9– 202 अदद पेज WhatsApp के स्क्रीनषाट जिनमें ठगी में प्रयोग किये गये बैंक खातें की किट से सम्बन्धित जानकारी व बैक खाते से लिंक सिम वाली डिवाइस में एपीके फाइल व उसको डाउनलोड करने से सम्बन्धित चैट।

10– रू 2040/ नकद।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः– स्थानः अवध हास्पिटल चौराहे से हरदोई रोड पर लगभग 200 मीटर आगे लखनऊ। दिनांकः 26–12–2024 समयः 21:40 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से सीबीआई/नारकोटिक्स /क्राईम ब्रांच के अधिकारी बनकर Digital Arrest कर ठगी करने वाले संगठित गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि डा अषोक सोलंकी निवासी लखनऊ ने थाना साइबर क्राइम, लखनऊ में मुकदमा पंजीकृत कराया कि उनको सीबीआई/नारकोटिक्स/ क्राईमब्रांच के अधिकारी बनकर दो दिन तक जांच के नाम पर Digital Arrest कर 48.00 लाख रूपये की ठगी की गयी।

उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विषेषज्ञता के आधार पर विष्लेषण एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए दिनांक 14–11–2024 को एसटीएफ टीम द्वारा गुरूग्राम हरियाणा से 05 अभियुक्तों, दिनांक 16–11–2024 को लखनऊ से 02 अभियुक्तों व दिनांक 03–12–2024 को लखनऊ से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसी क्रम में दिनांक 26–12–2024 को अभियुक्त कृष्ण कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण कुमार ने पूछताछ में बताया कि वर्ष–2016 में आधुनिक इंस्टीट्यूट दुहाई गाजियाबाद में बीटेक में एडमीषन लिया था, परन्तु एक वर्ष बाद बीटेक ड्रापआउट कर मोनार्ड युनिवर्सिटी हापुड से बीएससी किया। अक्टूबर 2023 मे उसकी मुलाकात राहुल चौहान जो मुरादनगर गाजियाबाद में जेके मेडिकल स्टोर चलाते थे से हुई थी। राहुल ने उसको गेमिंग ,स्कैमिंग, मिक्सिंग व स्टाक पर काम करने के बारे में बताया। जिसके लिए कार्पोरेट एकाउन्ट को डिटेल/किट **(एकाउन्ट होल्डर के बैंक का एकाउन्ट नं0, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी, कार्पोरेट आईडी, इंटरनेट बैंकिग लॉगिन आईडी–पासवर्ड, ईमेल आईडी–पासवर्ड, आधार नं0, पैन नं0, चेक बुक, एटीएम कार्ड व एसएमएस अलर्ट नम्बर का सिम)** के साथ किराये/कमीषन पर लेना है। कार्पोरेट

एकाउन्ट को रेंट पर लेने के लिए उसने टेलीग्राम के माध्यम से राजकुमार व पंकज सुरेला से सम्पर्क किया। यह लोग उसको कमीशन पर कार्पोरेट बैंक एकाउन्ट की डिटेल/किट उपलब्ध कराने लगे। बैंक खाते से लिंक मोबाइल नम्बर की सिम को अपने मोबाइल में डालकर एपीके फाइल के माध्यम से एसएमएस डाइवर्जन करने का एप डाउनलोड करता था। इन बैंक खातों में इसने राहुल के माध्यम से मुहफिजुद्दीन से सम्पर्क कर साइबर ठगी का काम करने लगा। मुहफिजुद्दीन कम्बोडिया में मौजूद चाइनीज गैंग के सम्पर्क में था। इस गिरोह द्वारा डिजिटल अरेस्ट, स्टाक फ्राड, गेमिंग फ्राड आदि के माध्यम से भरतीय लोगों को अपने जाल में फंसाकर, इसके द्वारा (किराये/कमीशन) उपलब्ध कराये गये बैंक खातों में रूपये डलवाने का काम किया जाता था। इन बैंक खातों मे ठगी से जो रूपये आते थे उसमें से मुहफिजुद्दीन इनका कमीषन काट कर शेष रूपयों को यूएसडीटी में कनवर्ट कर चाइनीज गिरोह के वालेट पर भेज देता था।

अगस्त 2024 में डा0 अशोक सोलंकी लखनऊ के साथ की गयी ठगी के सम्बन्ध में पूछने बताया कि राजकुमार ने दिनांक 12–13 अगस्त 2024 को व्हाटसअप काल के माध्यम से इसको बुलाया था। तब यह सेक्टर 52 के एक होटल में गया। वहा पर कार्पोरेट बैक खाता धारक नागेंन्द्र पाठक से उनके बैंक खाते की एसएमएस एलर्ट सिम लेकर उसको अपने मोबाइल में लगाकर उसमें एपीके फाइल के माध्यम से वेलकम एप डाउनलोड किया, जिससे एकाउंट में ओटीपी आने लगा। इसके बाद यह एपीके डिवाइस, बैक खाते का इंटरनेट बैंकिग आईडी–पासवर्ड, एटीएम कार्ड चेकबुक आदि लेकर होटल षिवम मोहन नगर गाजियाबाद राहुल के पास गया। वहा पर यह स्वयं व राहुल ने व्हाटसअप काल के माध्यम से मुहफिजुद्दीन से सम्पर्क कर चाइनीज गिरोह के माध्यम से उस बैंक खाते में साइबर फ्राड का लगभग 8.8 करोड रूपये का ट्रांजेक्षन कराया। जिसमें से 12 लाख रूपये राजकुमार की टीम व शेष रूपयों मे से मुहफिजुद्दीन ने इनका कमीषन काट कर बचे रूपयों को यूएसडीटी में कनवर्ट कर चाइनीज गिरोह को उनके वालेट पर भेज दिया।

इस गिरोह द्वारा वीके ट्रेडिंग के बैंक खाते में भी सिरसा हरियाणा के एक व्यक्ति से लगभग 22 लाख की ठगी की थी। इस कारण 28 अगस्त 2024 को इसे, राहुल व मुहफिजुद्दीन को हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। लगभग दो माह जेल में रहने के बाद इसकी व मुहफिजुद्दीन की जमानत हो गयी। राहुल अभी भी जेल में बंद है। जेल से छूटने के बाद यह और मुहफिजुद्दीन फिर से गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उपरोक्त तरीके से साइबर ठगी का काम करने लगे। यह अभी हाल ही में 09 बैंक खातों में साइबर ठगी का प्रयास किया था। उनमें से एक बैंक खाते में साइबर फ्राड के माध्यम से दिनांक 20, 21 व 23 दिसम्बर में क्रमशः **रू 64,21,775/– 47,78,236/– 21,64,286/– आये।**

अभियुक्त द्वारा बताये गये बैक खाते, वालेट की जानकारी/परीक्षण व गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्त से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जोयेगा।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 142/2024 धारा 319(2), 318(2), 338, 336(2), 340, 61(2)(ए) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम लखनऊ में दाखिल कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

एस0टी0एफ0–असलहा तस्करी गिरोह का सरगना एवं जनपद–लखनऊ से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार मिश्र जनपद अमेठी से गिरफ्तार।

दिनांक 27–12–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को असलहा तस्करी गिरोह के सरगना एवं जनपद–लखनऊ से रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार मिश्र को जनपद अमेठी से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

धर्मेन्द्र कुमार मिश्र उर्फ बब्बन मिश्र, पुत्र राम लल्लन मिश्र निवासी सेमीपुर, थाना–मुन्शीगंज, जनपद अमेठी।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

शाहबाजपुर, थाना क्षेत्र गौरीगंज, जनपद अमेठी दिनांक 27–12–2024 समयः 14.50 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में उ0नि0 चन्द्र प्रकाश मिश्र, मु0आ0 मृत्युन्जय सिंह, बरनाम सिंह, यशवन्त सिंह, वीर प्रताप सिंह, कमा0 दयानन्द मिश्र चालक रईस खान की टीम जनपद अमेठी में भ्रमणशील थी, इस दौरान विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ कि असलहा तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना एवं जनपद लखनऊ के थाना पारा, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 391/2024 धारा 25(8) आयुध अधि0 में वांछित रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार मिश्र उर्फ बब्बन मिश्र के थाना क्षेत्र गौरीगंज, अमेठी में मौजूद होनी की सूचना पर एसटीएफ द्वारा शाहबाजपुर, थाना क्षेत्र गौरीगंज, जनपद अमेठी से अभियुक्त उपरोक्त को आवष्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह थाना मंशीगंज, जनपद अमेठी का हिस्ट्रीशीटर नं0 74ए, है। पिछले कई वर्षो से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर व खण्डवा से अवैध पिस्टल मंगाकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बेचता है। पिस्टल लाने का काम कैरियर के माध्यम से कराता है। जहॉ से पिस्टल मंगाना होता है, उनसे बात करके दिनांक व समय तय करके उसी अनुसार कैरियर को वहॉ भेजता है। जो माल लेकर इसको पहॅुचाते है। रू0 15–16 हजार की दर से पिस्टल खरीदकर 20–25 हजार में सप्लाई करता है। दिनांक 24–07–2024 को अवैध पिस्टलों के साथ मनीश गुप्ता व शैलेन्द्र शर्मा को एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा 08 पिस्टल व 16 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसे इसके द्वारा ही मंगाया गया था।

उपरोक्त गिरफ्तार को थाना पारा, जनपद लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 391/2024 धारा 25(8) आयुध अधि0 में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना पारा, जनपद लखनऊ द्वारा की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास :–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	92/15	323, 504, 506 भादवि व 3(1) 10 एससीएसटी	मुन्शीगंज	अमेठी
2	341/16	323,506, 504 भादिव	मुन्शीगंज	अमेठी
3	355/16	323, 504, 506 भादिव	मुन्शीगंज	अमेठी
4	508/16	3/4 यू0पी0 गुण्डा अधि0	मुन्शीगंज	अमेठी
5	62/18	147, 323, 506 भादवि	मुन्शीगंज	अमेठी
6	520/16	147, 148, 149, 452, 323, 504, 506,427, 307 भादवि	मुन्शीगंज	अमेठी
7	338/16	323, 504, 506 भादवि	मुन्शीगंज	अमेठी
8	203/18	147, 504, 506, 507 भादवि	मुन्शीगंज	अमेठी
9	507/20	2/3(1) गैगे0 एक्ट	अमेठी	अमेठी
10	910/14	147, 148, 149, 308, 323, 427 भादवि	अमेठी	अमेठी
11	1116/15	3/4 गुण्डा अधि0	अमेठी	अमेठी
12	955/16	323, 504, 506, 325 भादवि	अमेठी	अमेठी
13	345/19	147, 148, 149, 302 भादवि	अमेठी	अमेठी
14	112/18	3/25 आर्म्स एक्ट	संग्रामपुर	अमेठी
15	298/18	3/35 आर्म्स एक्ट	संग्रामपुर	अमेठी
16	183/18	392, 411 भादवि	गौरीगंज	अमेठी
17	251/24	55 बीएनएस	गौरीगंज	अमेठी
18	190/18	115/120 बी	गौरीगंज	अमेठी
19	10/23	8/21 एनडीपीएस एक्ट	मुन्शीगंज	अमेठी
20	391/24	25(8) आर्म्स एक्ट	पारा	लखनऊ

एस0टीएफ0–थाना भीलाड़, जनपद बलसाड़ (गुजरात) क्षेत्र में हुए अपहरण की घटना में वॉछित मुख्य अभियुक्त आगरा से गिरफ्तार।

दिनांकः 27–12–2024 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश एवं गुजरात पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना भीलाड जनपद बलसाड गुजरात के मु0अ0सं0–11200007242108 धारा–137(2) बढ़ोत्तरी 140(2) बीएनएस में वॉछित अभियुक्त शहवाज खान उर्फ सोनू को आगरा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः–

शाहवाज खान उर्फ सोनू पुत्र मो0 फारूख खान निवासी टैक्सी स्टैण्ड के पास चूना भट्टी कुरला मुम्बई। (महाराष्ट)

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक–27–12–2024 समय–13.15 बजे प्रभू सिनेमा के सामने थाना क्षेत्र जगदीषपुरा, आगरा।

थाना भीलाड़ बलसाड़ (गुजरात) क्षेत्र मे हुए अपहरण की घटना के सम्बन्ध में थाना भीलाड़ जनपद बलसाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0–11200007242108 धारा–137(2) बढ़ोत्तरी 140(2) बीएनएस में वॉछित अभियुक्त शहवाज खान उर्फ सोनू के उ0प्र0 में होने की सूचना पर गुजरात पुलिस द्वारा एसटीएफ उ0प्र0 से आवष्यक सहयोग मॉगा गया था। जिस पर श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा को वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए गुजरात पुलिस को आवष्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया था।

दिनांक–27–12–2024 को निरीक्षक श्री हुकुम सिंह, निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा, हे0का0 प्रषान्त कुमार, हे0का0 विवेक कुमार, हे0का0 अंकित गुप्ता एस0टी0एफ0 यूनिट आगरा एवं गुजरात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। इस दौरान अभियुक्त शाहवाज खान के प्रभु सिनेमा के सामने, थाना क्षेत्र, जगदीषपुरा के पास होने की सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को आवष्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछतॉछ पर अभियुक्त ने बताया कि वह पहले टीएसआई (ट्रान्सवर्ल्ड सिस्टम, इण्डिया) में नौकरी करता था। उसके साथ ही एक लड़की भी काम करती थी। जिससे इसका अवैध सम्बन्ध हो गया था। उक्त लड़की ने इसकी और अपनी आपत्तिजनक वीडियो बना ली थी। उस वीडियो को दिखाकर वह 25 लाख रूपये की मॉग करती थी। इसके पास उतना पैसा न होने पर यह अपने साथी उवेर के साथ मिलकर अपने मौसी की लड़की के लडके अफाक पुत्र आदिल शेख निवासी वापी बलसाड़ गुजरात के अपहरण की योजना बनाया। दिनांक 23–12–2024 को धनौली बलसाड़ गुजरात मे एक शादी थी जिसमें अपहृत अफाक के परिवारीजनों के साथ ही यह भी सम्मिलित हुआ था। उसी दौरान रात्रि के समय यह किसी बहाने से अपने मामा अब्दुल मलिक खान की वैगनार कार लेकर अफाक (अपहृत) को साइकिल दिलाने के बहाने उसे भी कार में बैठा लिया। अफाक को कार में बैठाकर यह उक्त स्थान से 11 किलोमीटर दूर जीआईडीसी दमन गांगा के पास एक फैक्ट्री के पीछे झाड़ियों में अफाक का गला दबाकर उसे मृत समझकर फेक दिया। दिनांक 24–12–2024 को पुलिस को अपहृत अफाक जीवित अवस्था में मिल गया। जिस पर यह वहॉ से भागकर आगरा आ गया। आज मुम्बई भागने की फिराक में था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना जगदीषपुरा, आगरा में दाखिल करके विवेचक श्री जे0एस0 रब्बारी बीएसआई थाना भीलाड़ जिला बलसाड़ गुजरात को सुपुर्द कर ट्रॉजिस्ट रिमाण्ड हेतु मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व पंजीकृत मु0अ0सं0–11200007242108 धारा–137(2) बढ़ोत्तरी 140(2) बीएनएस थाना भीलाड जिला बलसाड़ गुजरात के सम्बन्ध में गुजरात पुलिस द्वारा अग्रिम आवष्यक कार्यवाही की जा रही है।

———————